

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/

/2017-18

दिनांक

2017

2990-3000

30/5

प्रबन्धक,

रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल,
लम्भुआ, सुलतानपुर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।
महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर आपके विद्यालय को दिनांक 17.08.2017 से दिनांक 16.05.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है—

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों का प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के समीक्षा की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal

Raghukul Academy,
English Medium School,
Lambhua Sultanpur

Raghukul Academy
English Medium School
Lambhua Sultanpur

राजतीर्थ सिंह

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
 अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-

कुल निर्मित क्षेत्रफल-

क्रीडास्थल का क्षेत्रफल-

कक्षाओं की संख्या-

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिये कक्ष-

बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय-

पेयजल सुविधा-

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-

बाधारहित पहुच-

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
 10- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-22/2017 है। कृपया इसे गोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
 17- विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू-डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
 18- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 सुलतानपुर।

पृ0सं0 पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

रामजी सिंह
 Manager
 Raghukul Academy
 English Medium School
 Lambhua Sultanpur

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 सुलतानपुर।

Principal
 Raghukul Academy
 English Medium School
 Lambhua Sultanpur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुल्तानपुर

सेवा में,

प्रबंधक
रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम
लम्भुआ सुल्तानपुर

पत्रांक- 26936-191 / 2022-23

दिनांक - 25/01/2023

विषय-रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर कि मान्यता के स्थाई होने के सम्बन्ध में।
महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 24.01.2023 तक प्राप्त आवेदन के विषय पर विचारोपरान्त यह तथ्य पाया गया कि विद्यालय की मान्यता दिनांक 30.05.2017 को पत्रांक मान्यता / 2998-3000 / 2017 / 18 के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर कार्यालय से निर्गत की गई मान्यता अवधि मान्यता पत्र में 3 वर्ष के लिए प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपनधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तों के उलंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सज्ञानित नहीं होता तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।

रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर के पत्र व खंड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ सुल्तानपुर की आंख्या पत्रांक 572/2022.23 दिनांक 24.01.2023 के आधार पर उक्तशासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपनधिक मान्यता 1 अप्रैल 2017 से दिनांक 16.05.2020 तक तीन वर्ष अवधि के लिए दी गई थी तीन वर्ष की अवधि में मान्यता की शर्तों के उलंघन से सम्बंधित कोई प्रतिकूल तथ्य सज्ञानित नहीं हुआ।

अतः रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर की मान्यता शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के आधार पर स्थाई मान ली जाती है।

भवदीय-

(दीवान सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुल्तानपुर

पत्रांक- मान्यता / — / 2022-23

दिनांक- 25/01/2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र- लम्भुआ सुल्तानपुर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर।
3. प्रबंधक रघुकुल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल लम्भुआ सुल्तानपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुल्तानपुर

Principal
Raghukul Academy
English Medium School
Lambhua Sultanpur